ई एस आई कार्पोरेशन में बैठते हैं मज़दूर नेता केवल ऐय्याशी के लिये

दिल्ली (मज़दूर मोर्चा) जैसे 'जनप्रतिनिधि' विधानसभा या लोकसभा में बैठ कर जनता के पक्ष में नहीं बोलते वैसे ही सुविधा भोगी श्रमिक प्रतिनिधि भी श्रमिक फ़ोरमों पर श्रमिकों के हितों की बात नहीं करते। सरकारी तौर पर ऐसी ही एक फोरम है ईएसआईसी जिसमें श्रमिक प्रतिनिधियों को बतौर कार्पोरेटर निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर मिलता है पर इसे वे अपने छोटे-मोटे निहित स्वार्थों के लिये बलि चढा देते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भारत सरकार द्वारा गठित तथा केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय से सम्बद्ध निगम है। देश भर के मज़दूरों के हित में इसे लोकतान्त्रिक ढंग से चलाने के लिये इसमें 54 सदस्य रखे गये हैं जिन्हें कार्पोरेटर कहा जाता है। इनमें से 10 सदस्य ट्रेड यूनियनों से तथा 10 उद्योग जगत से नामित किये जाते हैं। शेष 34 सरकारी होते हैं। केन्द्रीय श्रममंत्री इसका चेयरमैन होता है, जिसने कभी कुछ नहीं करना होता, खासकर मौजूदा श्रममंत्री सीसराम ओला जैसों ने। और यदि वाई आर चन्द्रशेखर (तेलंगाना वाला) जैसा सक्रिय हो तो वह लूटने-खाने के अलावा कुछ करता नहीं।

उक्त 54 सदस्यों में से जो 10 उद्योग जगत से हैं, उन्हें मज़दूरों के हितों से कुछ लेना-देना नहीं होता; यदि थोड़ा बहुत हो भी तो वे मज़दूर-हितों के लिये सरकार से लड़ने वाले नहीं। वे तो केवल सरकार द्वारा तय अंशदान देकर निश्चिंत हो जाते हैं। हां जब कभी उनके हित मज़दूर-हितों से टकराते हैं तब वे जरूर सरकार पर दबाव बना कर अपने हित साध लेते हैं। बाकी बचे सरकारी सदस्य, वे तो सरकार हैं और सरकार का काम मज़दूरों के खून-पसीने की कमाई से अपना खज़ाना भरने का ही होता है। लूट के अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने में जुटी सरकार व इसकी ईएसआईसी ने मज़दूरों का खून निचोड़-निचोड़ करा अपने खज़ाने में 30 हज़ार करोड़ से अधिक की रकम जमा कर ली है।

यह आंकड़ा 31 मार्च 2012 तक का है, उसके बाद के आंकड़े देना ईएसआईसी ने बंद कर दिया है। यह रकम तो तब है जब ईएसआईसी केवल 15000 रुपया मासिक वेतन पाने वालों को ही कवर कर रही है। लेकिन अब बहुत जल्द निगम अपनी लूट का दायरा बढ़ा कर वेतन सीमा 25000 तक करने जा रही है। जाहिर है इस विस्तार के द्वारा निगम के खज़ाने में दिन दूणी रात चौगुणी वृद्धि होने लगेगी।

विदित है कि यह निगम मुनाफ़ा कमाने के लिये गठित नहीं की गयी थी। इसका गठन केवल मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं बेहतरीन चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये किया गया था। निगम कोष में इतनी भारी रकम का एकत्र हो जाना स्वत: सिद्ध करता है कि जिस उद्देश्य के लिये निगम का गठन किया गया था वह पूरा नहीं हो रहा है। निगम कोष में इतनी तीव्र गति से वृद्धि का कारण यह है कि मज़दूरों को वांच्छित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जितने अस्पताल, जितनी डिस्पेंसरियां, उनमें जितने डॉक्टर एवं स्टाफ़ तथा उपकरण आदि होने चाहिये वे नहीं जुटाए जा रहे हैं; लिहाज़ा इन सब पर होने वाला खर्चा बच जाता है और यही बचत निगम का मुनाफ़ा और मज़दूरों की मुसीबत एवं परेशानी का कारण बनती है।

यहां प्रश्न पैदा होता है कि जब एक ओर चिकित्सा के अभाव में मज़दूरों की परेशानियां बढती जा रही हैं और दूसरी ओर निगम का खज़ाना भरता जा रहा है तो निगम में बतौर कर्पोरेटर तैनात 10 मज़दूर नेता क्या कर रहे हैं? ये मज़दूर नेता भी कोई छोटे-मोटे नेता नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। संदर्भवश पाठक जान लें कि इनमें सी आई टी यू की ओर से काली घोष, हिन्द मज़दूर सभा की ओर से राम किशोर त्रिपाठी, बी एम एस की ओर से गोकुलानन्द जेना, वी राधाकृष्णन, तथा अजीत श्रीपाद कुलकर्णी, ऑल ईंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर की ओर से दीलीप भट्टाचार्य, आई एन टी यू सी की ओर से डॉ. जी संजीव रेड्डी, चन्द्र प्रकाश सिंह, तथा के सुरेश बाबू, और ए आई टी यू सी, की ओर से अमरजीत कौर है।

इन्हें वहां तैनात तो इस लिये किया गया था कि मज़दूर हितों की रक्षा करें, परन्तु उनकी उदासीनता यह सिद्ध कराती है कि वे मज़दूरों का व्यापक हित साधने की अपेक्षा केवल अपना-अपना हित साधने को वहां विराजमान हैं। इनको तो निगम की बैठक में जाने-आने के लिये हवाई जहाज़ का किराया तथा पंचतारा होटल में एक-दो दिन ठहरने को मिल जाये तो काफ़ी है। हां कुछ घाघ मज़दूर नेता अपने इस बल पर जो दलाली की दुकानदारी चलाते हैं वह अलग से। निगम के किसी अधिकारी का तबादला कराना या रुकवाना, किसी की पदोन्नति कराना या रुकवाना, अपने प्रभाव से किसी उद्योगपति की सहायता कर देना आदि-आदि।

निगम में तैनात इन नेताओं ने न तो कभी खुद इतनी जहमत उठाई कि निगम के अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में जाकर मज़दूरों की दुर्दशा का अवलोकन ही कर लें और न ही कभी अपने कनिष्ठ (स्थानीय) मज़दूर नेताओं के माध्यम से इसे जानने का प्रयास किया। ये लोग निगम की बैठकों में आते बाद में हैं और जाने की जल्दी पहले करते हैं। आते ही कहेंगे कि जल्दी से उनके दस्तखत करा लो जहां कराने हैं क्योंकि उन्हें फ़िर अन्यत्र जाकर भाषण झाड़ना है या किसी और मीटिंग में दस्तखत करने है।

इन उक्त नेताओं में से कांग्रेस व भाजपा से सम्बन्धित मज़दूर नेताओं से मज़दूरों को कोई विशेष गिला नहीं हो सकता क्योंकि वे तो हैं ही सरकार के पिछलग्गू एवं सरकारी भोंपू। गिला है तो उन लाल झंडे वालों से है जो अपने आपको मज़दूरों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दम भरते हैं; क्रान्ति एवं संघर्ष की बातें करते हैं; व्यवस्था परिवर्तन तथा शोषण रहित समाज स्थापित करने के सब्ज़ बाग़ दिखा कर मज़दूरों को बहलाते हैं। दुनिया भर की लम्बी-लम्बी लफ़्फ़ाजी तो इनके श्रीमुख से सुनने को मिल जाती है परन्तु ईएसआईसी की मीटिंगों में मज़दूरों के शोषण के बारे में एक शब्द तक बोलने की इन्हें फ़ुर्सत नहीं।

ई एस आई अस्पताल को डॉक्टर नहीं मिलते

फ़रीदाबाद (म.मो.) रोते पीटते मन से ई एस आई सी ने 24 सीनियर रेजिडेंट (एस आर) डॉक्टरों की भर्ती सीधे साक्षात्कार द्वारा करनी चाही। इसके लिये इसी माह की 9 व 10 तारीख को उन्हें बुलाया गया था। विज्ञापित 24 रिक्तियों के लिये कुल 14 उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु आये। इनमें से केवल 7 ही भर्ती होने लायक पाये गये। शेष बची 17 रिक्तियां के लिये पुन: नये सिरे से साक्षात्कार रखे जायेंगे।

भर्ती किये गये 7 डॉक्टरों में से एक तो बेहोश करने वाला है, एक आंखों का है, एक महिला रोग एक ई एन टी, 3 जनरल सर्जरी के हैं। जबकि सबसे अधिक आवश्यकता मेडिसिन, हड्डी, बच्चों व रेडियोलॉजी के डॉक्टरों की है। इनमें से एक भी डॉक्टर / एस आर उपलब्ध नहीं हुआ।

ई एस आई सी की इस नाकामी का सबसे बड़ा कारण स्वयं ई एस आई सी ही है। जो आवेदन इनको अस्पताल अधिग्रहण करने से पूर्व मांगने चाहियें थे वे इन्होंने मांगे ढाई महीने बाद। लगभग तमाम मेडिकल कॉलेजों से पढाई करके डॉक्टर निकलते हैं जुलाई-अगस्त के महीनों में; यदि उस समय ई एस आई सी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की होती तो आज यह स्थिति न होती।

दूसरा बड़ा कारण इनके अस्पताल की दयनीय स्थिति है। अस्पतालों में जो एस आर आते हैं वे स्नात्तकोत्तर तक पढाई करके 3 वर्ष के अनुबन्ध आधार पर आते हैं। उनका लक्ष्य होता है अपने काम में और अधिक महारत हासिल करना। इस अस्पताल की दुर्दशा को देखकर कोई भी डॉक्टर यहां एस आर बन कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा; हां जिसे कहीं और ठोर नहीं या कोई अन्य मजबूरी है वही यहां 3 साल की नौकरी करने आयेगा, जैसे कि उक्त 7 डॉक्टर आये हैं।

प्रशासनिक भ्रष्टाचार की आग लील गयी, लाखों की सम्पत्ति

फ़रीदाबाद एन आई टी (म.मो.) दिनांक 10 दिसम्बर को स्थानीय एन एच-5 की शब्ज़ी मंडी के साथ स्थित एक साइकिल मुरम्मत की दुकान में अचानक आग लगने से एक के बाद एक करके 7 धमाके हुए। आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड के आने तक साइकिल वाली दुकान व साथ लगती किराने की पूरी दुकान स्वाहा हो गयी। दुकान में भरा लाखों का माल देखते ही देखते राख हो गया।

प्रश्न जरूरी यह जानना है कि आखिर आग लगी कैसे? पड़ोसी बताते हैं कि साइकिल मुरम्मत करने वाला एल पी जी गैस का भी अवैध धंधा करता था। उसके यहां रोज़ाना करीब 6 से 10 सिलेंडर विभिन्न गैस एजेंसियों से ब्लैक में आते थे; उनसे वह छोटे गैस सिलेंडर भरता था। करीब 800 रुपया में खरीदे गये एक सिलेंडर से इस धंधे में, वह करीब 1500 तक कमा लेता था। पड़ौसी दुकानदारों ने खतरे को भांपते हुए कई बार पुलिस एवं प्रशासन को इस बाबत शिकायतें की लेकिन पुलिस सहित सभी सम्बन्धित विभागों में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के चलते कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं धंधे में मोटे मुनाफ़े को देखते हुए अकेले एन एच-5 में ही दर्जनों रिहायशी स्थानों पर यह धंधा खुलेआम चल रहा है।

विदित है कि तमाम गैस एजेंसियों के लिये यह अनिवार्य है कि वे अपना गोदाम शहर से बाहर किसी ग़ैरआबाद क्षेत्र में बनायेंगे तथा वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इन्तज़ाम करेंगे। दशहरे व दिवाली पर पटाखे आदि की बिक्री तक भी शहर की आम दुकानों पर प्रतिबन्धित करके चौड़े व खुले मैदान में स्टाल लगा कर की जाती हैं। इसके बावजूद भी पूरे शहर के सैंकड़ों स्थानों पर यह अवैध धंधा पूरे ज़ोरों पर चल रहा है।

खानापूर्ति के लिये पुलिस ने केवल रोजनामचे में एक रपट मात्र लिख कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि इस लीपा-पोती के बजाय स्थानीय एस एच ओ, ए सी पी (जिसका अपना दफ़्तर भी पास में ही है) सम्बन्धित गैस एजेंसियों व कम्पनियों तथा खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों के विरुद्ध क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया, जो इस धंधे को चलवाने के एवज में रिश्वत खा रहे थे? जब तक इन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज नहीं होंगे इस तरह की वारदातें होती रहेगी।

एस.डी. इंजीनियरिंग में श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ़ उपश्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन

फरीदाबाद (इंकलाबी) 9 दिसंबर को एस. डी. इंजीनियरिंग टेक प्रा.लि. में श्रम कानूनों के उल्लंघन, अवैध स्थानान्तरण के खिलाफ़ तथा बोनस की मांग को लेकर इंकलाबी मज़दूर केन्द्र के नेतृत्व में मज़दूरों ने उपश्रमायुक्त कार्यालय पर ज़ोरदार प्रदर्शन किया।

गौरतलब है कि एस.डी. इंजीनियरिंग टेक प्रा. लि. जिसके विभिन्न प्लांट-नम्बर 124, 177 सेक्टर 24 एवं प्लांट नं 121-122 सेक्टर 59 में स्थित हैं, में श्रम कानूनों के उल्लंघन व बोनस, डबल ओवरटाईम की मांग को लेकर मज़दूर पिछले काफ़ी समय से संघर्षरत रहे हैं। कंपनी में ठेका प्रथा के तहत आधुनिक मशीनों पर काफ़ी लंबे समय से कार्य कराया जाता है। बोनस के नाम पर कंपनी प्रत्येक मज़दूर के वेतन से 200 रुपया मासिक काटती है जिसे इकट्ठा कर 2400 रुपया सलाना बोनस के नाम पर दीवाली के समय मज़दूरों को थमा दिया जाता है। कंपनी में जबरन ओवरटाईम कराया जाता है जिसका सिंगल दर से भुगतान किया जाता है। जो भी मज़दूर इस शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ़ आवाज उठाता है उसे काम से निकाल दिया जाता है या अन्यत्र स्थांतरित कर दिया जाता है।

पिछले समयों में एस. डी. इंजीनियर्स टेक प्रा.लि. के मज़दूर अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत रहे हैं जिसके चलते श्रम अधिकारी सर्किल-2 की मध्यस्थता में श्रमिक पक्ष व प्रबंधन के बीच समझौता हुआ जिसमें ओवर टाईम का दुगुना भुगतान करने, न्यूनतम 8.33 पतिशत (8400 रुपया) बोनस देने, सभी मज़दूरों को स्थांतरित करने की स्थिति में स्थानांतरण पत्र देने आदि बातों पर सहमति हुई। लेकिन समझौते को लागू करना दूर प्रबंधन ने नेतृत्वकारी मज़दूरों को काम से निकालना व स्थांतरित करना शुरू कर दिया। स्थांतरित सभी मज़दूरों को स्थानांतरण पत्र भी नहीं दिए गए।

दीवाली के अवसर पर प्रबंधन समझौते के अनुसार 8.33 प्रतिशत अथवा 8400। बोनस देने से भी मुकर गया जिसके चलते मज़दूरों को आन्दोलन के लिये बाध्य होना पड़ा। अंतत: श्रम निरीक्षक की उपस्थिति में प्रबंधन व मालिकान ने 8400 रुपया बोनस देना स्वीकार किया जिसकी अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपया दिए तथा घाटे का रोना रोकर बाकी राशि बाद में देने का लिखित बचन दिया। बोनस हासिल करने के लिये मज़दूरों की एकता व संघर्ष से कुपित होकर मालिक व प्रबंधन ने बदले की भावना से मज़दूरों का दमन उत्पीड़न तेज कर दिया। मज़दूरों को अपने चैंम्बर में बुलाकर डंडे दिखाना, जान से मारने, ट्रक से कुचलने की धमकी मालिक द्वारा दी गयी। इस सब के बारे में स्थानीय मुजेसर थाना में शिकायत करने पर भी मालिक व प्रबंधन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्रम विभाग ने इस दौरान मज़दूरों की उपरोक्त के संदर्भ में शिकायतों को अनसुना कर दिया जाहिर है कि इस मामले में श्रम अधिकारियों की मिलीभगत रही है। इसी के मद्देनज़र आज मज़दूरों ने श्रम विभाग पर प्रदर्शन किया तथा एस.डी. प्रबंधन द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन व पूर्व समझौता को लागू कराने की मांग की।

नगर निगम की लापरवाही से एक मज़दूर मरा दो घायल, मुकदमा ठेकेदार पर

फरीदाबाद (म.मो.) दिनांक 11 दिसम्बर को हार्डवेयर चौक के निकट एनएच-2 में सीवर लाइन डालने के लिये खोदे गये 14 फीट गहरे गडढ़े में काम कर रहे 3 मज़दूरों पर भारी मात्रा में मिट्टी गिरने से वे दब गये। जब तक उनको निकाला जा सका एक की मौत हो चुकी थी, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा तीसरे को मामूली उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी। पुलिस एवं प्रशासन ने सीवर लाइन डालने वाले ठेकेदार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली।

यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इस कांड के लिये केवल ठेकेदार ही जिम्मेदार है? क्या निगम के वे अधिकारी भी बराबर के, बल्कि कहीं अधिक दोषी नहीं हैं, जिन्होंने उस ठेकेदार को वह काम सौपा जिसके वह लायक नहीं था? नगर निगम में 100 से अधिक इन्जीनियरों की फ़ौज क्या केवल रिश्वत व कमीशनखोरी के लिये तैनात है? क्या उन्हें कार्यस्थलों पर चल रहे कामों पर तैनात रह कर तकनीकी पहलुओं से काम की निगरानी नहीं करनी चाहिये? यदि सब कुछ ठेकेदार ने ही करना होता है तो इन्जीनियरों की इतनी भारी भरकम फ़ौज किस लिये पाल रखी है? यदि मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद होता तो वह ठेकेदार को वह ग़लती करने से रोक सकता था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

निगम की लापरवाही से मारे गये मज़दूर के परिवार को मुआवजा कौन देगा? क्या यह नगर निगम की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह किसी भी ठेकेदार को काम देने से पहले सुनिश्चित करे कि उसके तहत काम करने वाले मज़दूर ई एस आई सी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा बीमित हैं?